

असाधारगा EXTRAORDINARY

भाग 11—वण्ड 3—उप-वण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 391] No. 391] नई बिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 1988/आबाद 27, 1910 NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 1988/ASADHA 27, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा का सके

Separate Paying is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परियहन मंत्रालय

(पत्तन पक्षा)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1988

ग्रधिमुचना

सा.का. नि. 797 - जबिक महापत्तन त्यास (त्यासियों को फीस और भक्तों को प्रवासियों) (संशोधन) नियमावसी, 1987 का प्रारूप भारत नरकार, जल-भूतल परिबद्धन मंद्रालय (पण्त पक्ष) की प्रधिमुचता संख्या सा.का.ित. 452(प्र) दिनांक 14 प्रप्रैस, 1988 के अंतर्गत भारत के राजेपद्ध, भाग 11, खण्ड 3 उपखण्ड (1) विनांक 14 प्रप्रैस, 1988 में प्रकाशित किया गया था जैसािक महापत्तन त्याम प्रधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपवास (2) द्वारा प्रवेक्षित था, जिसमें उन समी व्यक्तियों में उक्त प्रधिमूचना के सरकारी

राजपत्न में प्रकाणित होने की भारीख से पैतालीम दिनों की अविधा समाप्त होने तह आधिनियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे जिन पर उसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है.

और जबकि उक्त राजपत्न की प्रतियां 29 अप्रैल, 1988 को जन-माधारण को सुलभ करा दी गई थीं; और जबकि ज़क्त अवधि समाप्त होने से पहले कोई आधिकयां प्रथवा सुभाव प्राप्त नहीं हुए हैं,

भतः श्रव उक्त अधिनियस की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त पश्चियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एनद्वारा महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भनों की भदायगो) नियमावली, 1981 में निम्नलिमिन संशोधन करनी है, अर्थात:—

- 1. (1) इन नियमों को महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भनों की प्रदायगी) (संगोधन) नियम, 1988 कहा जाए।
 - (2) वे सरकारी राजपन्न में प्रकाशित होने की तारीप्त से लागू होने।
- 2 महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों की प्रदायगी) नियमावली, 1981 के नियम 3 में क्लीज (1) में श्राने वाले मध्यों "पनाम कृषए" के स्थान पर शब्द "एक सौ न्यए" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. पी घार 16011/1/87-पी जी] योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सम्बद

फुट नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र सा.गा नि. 134, दिनाक 28-1-1982 में प्रकाणित किए. गए थे।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 18th July, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 797.—Whereas a draft of the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) (Amendment) Rules, 1987 was published, as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 14th April, 1987 under the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports Wing) No. G. S. R. 452 (E), dated 14th April, 1988, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette:

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 29th April, 1988;

And whereas no objection or suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) (Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rule, 1981, in clause (i), for the words "Rupees fifty" the words "Rupees one hundred" shall be substituted.

[F. No. PR-16011|1|87-PG] YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.